संख्या– /VI/2017–14(खेल)2002

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खेलकूद अनुभाग देहरादून : दिनांक : 05 सितम्बर, 2017

विषय : सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं हेतु दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के कार्मिक हेतु प्रत्येक वर्ष अनेक खेलों में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगितायें आयोजित करायी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य के शासकीय कार्मिकों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है, जिससे कि ये कार्मिक अपने को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनायें रख सकें।

राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ खेल के विकास तथा शारीरिक संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–273/VI-I/2008–4(4)/2007, दिनांक 17 नवम्बर, 2008 निर्गत किया गया था। तत्पश्चात शासनादेश संख्या–476/VI-2/2015–14(खेल)/2002, दिनांक 20 जुलाई, 2015 द्वारा दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे। उक्त शासनादेशों के क्रम में सम्यक् विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं हेतु निम्न व्यवस्थानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

(1) सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के संचालन एवं प्राविधानित धनराशि के सदुपयोग हेतु राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें उत्तराखण्ड शासन के निम्न अधिकारी होंगे।

1. सचिव, खेल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव/निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

(2) वित्तीय व्यवस्था एवं संचालन – वित्तीय संसाधनों के प्रतिपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान की धनराशि के आहरण एवं वितरण से पूर्व समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा। उक्त धनराशि निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा व्यय का प्रस्ताव निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिस पर उपरोक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) **पात्रताएं** — "यह योजना शासन के समस्त कार्यालयों व विभागों (केवल पुलिस विभाग को छोड़कर) में कार्य करने वाले कर्मचारियों, जो कि राज्य सरकार के नियमकारी नियंत्रण (रूल मेकिंग कन्ट्रोल) में है तथा जिनका वेतन अधिष्ठान बजट से दिया जाता है, पर लागू होगी। उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग एवं चयन हेतु नियमित खेल अधिकारी/खेल प्रशिक्षक आदि पात्र होगें। अतः जिला स्तर पर सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को विभाग को दृष्टिगत रखते हुए चयन ट्रायल्स में सम्मिलित किया जायेगा। सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स में पूर्णरूप से सरकारी कर्मचारी ही भाग लेंगे। राज्य के शासकीय कार्मिक (पुलिस एवं सेना को छोड़कर) अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र होगें।"

"भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार सिविल सर्विसेज में आटोनोमस बाडी जैसे परिषद/बोर्ड/नगर निगम/पंचायत/पुलिस विभाग के कर्मचारी (अध्यापक/सहायक अध्यापक आदि) भाग नहीं लेंगे। कार्य प्रभारित कर्मचारियों (वर्कचार्ज एम्पलाईज्ड) तथा वह स्टाफ जिसका वेतन प्रसांगिक व्यय में से किया जाता है, पर योजना लागू नहीं होगी।"

(4) **अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को अनुमन्य सुविधायें** :—

(क) अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों मैनेजर एवं प्रशिक्षकों को प्रदेश के अन्दर व प्रदेश के बाहर दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता जो श्रेणी एक के अधिकारियों को अनुमन्य है, प्रदान किये जायेंगे, जो कि आठ घन्टे ये अधिक विश्राम पर लागू होगा। यात्रा अवधि में 12 से 24 घन्टे की यात्रा के लिये ₹100/— प्रतिदिन की दर से यात्रा की अवधि में (जर्नी एलाउन्स) भत्ता देय होगा। किन्तु 12 घन्टे से कम किन्तु 8 घन्टे से अधिक अवधि की यात्रा के लिये 1/2 की दर से यात्रा भत्ता देय होगा। 8 घन्टे से कम यात्रा पर किसी भी प्रकार का कोई भी दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(ख) अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान किया जायेगा। जिसका अधिकतम मूल्य ₹1200.00 से अधिक नहीं होगा। टीम के कोच व मैनेजर को किट्स सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(5) **टीमों की चयन प्रक्रिया** :— प्रदेश की सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता हेतु भाग लेने वाली टीमों के लिये निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी :—

गठित समिति :—

1— **जिला स्तर पर गठित चयन समिति** :—

(1)	जिलाधिकारी एवं उनका प्रतिनिधि	अध्यक्ष
(2)	जिला प्रभारी अधिकारी स्पोर्ट्स अथवा क्रीड़ाधिकारी/उप क्रीड़ाधिकारी/सहायक प्रशिक्षक (जैसी भी स्थिति हो)	संयोजक/सदस्य
(3)	विशिष्ट खेल का स्थानीय विख्यात खिलाड़ी	सदस्य

2— **मण्डल स्तर पर गठित चयन समिति** :—

(1)	आयुक्त अथवा उनका प्रतिनिधि	अध्यक्ष
(2)	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सम्बन्धित खेल का विख्यात खिलाड़ी	सदस्य
(3)	क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी	संयोजक/सदस्य

3– **राज्य स्तर पर गठित चयन समिति :–**

(क) **यदि चयन/ट्रायल्स देहरादून में आयोजित हो :–**

(1)	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सिविल सर्विसेज खिलाड़ी एसो0, देहरादून।	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, खेल उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	सदस्य
(3)	निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	संयोजन/सदस्य
(4)	स्थानीय खेल अधिकारी द्वारा नामित विशिष्ट खेल का स्थानीय विख्यात खिलाड़ी	सदस्य

(ख) यदि चयन/ट्रायल्स अन्य स्थानों पर आयोजित हो :–

(1)	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी अथवा कीड़ाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)	संयोजन/सदस्य
(3)	विभाग के खेल विशेषज्ञ नामित किये जाये (यदि खेल विशेषज्ञ उपलब्ध न हो तो आयुक्त/क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी किसी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को समिति में नामित कर सकते है।)	सदस्य
(4)	उत्तराखण्ड सिविल सर्विसेज खिलाड़ी एसो0 का प्रतिनिधि	सदस्य

चयन प्रक्रिया विषयक निर्देश :–

(1) खेल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद स्तर पर जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा समिति गठित कर चयन ट्रायल्स आयोजित कराये जायेंगे। जनपद स्तर पर चयनित खिलाड़ियों की सूची के साथ जिला क्रीड़ाधिकारी राज्य स्तरीय ट्रायल्स में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों को भेजेंगें। खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य स्तरीय चयन ट्रायल्स आयोजित करके प्रदर्शन के आधार पर प्रदेशीय टीम का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात चयनित खिलाड़ियों के चयन का प्रस्ताव प्रस्तर–2 में उल्लिखित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) जनपदों में राज्य स्तरीय ट्रायल्स में भाग लेने वाले राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। प्रदेशीय ट्रायल्स की अवधि तथा अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अवधि का भी विशेष अवकाश भी सम्बन्धित विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जायेगा।

(3) शासन द्वारा टीम के मैनेजर का चयन किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया एवं मानक का पालन किया जायेगा :–

(अ) मैनेजर हेतु राजपत्रित अधिकारी को वरियता दी जाय।

(ब) मैनेजर बनने हेतु ऐसे कर्मचारी/अधिकारी को वरीयता दी जानी चाहिए, जिससे किसी खेल में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में खिलाड़ी के रूप में भाग लिया हो।

(स) किसी खेल में सम्बन्धित खेल का खिलाड़ी न मिलने की दशा में अन्य खेल/खेलों में भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता खिलाड़ी के रूप में खेले हुए व्यक्ति को विकल्परूप में मैनेजर नियुक्त किया जाय।

(द) ऐसे खिलाड़ी को वरीयता दी जाय जिसे प्रतियोगिता आयोजन का भी अनुभव हो।

(य) जिनके आचरण के विरुद्ध खिलाड़ी अथवा मैनेजर के रूप में शिकायत प्राप्त हुई हो, मैनेजर नहीं बनाया जायेगा।

(र) जिसने पूर्व में मैनेजर नियुक्त होने के पश्चात दो माह से अधिक समय में व्यय विवरण व रिपोर्ट प्रेषित न की हो, मैनेजर नहीं बनाया जायेगा।

(ल) तीन अथवा तीन से अधिक बार मैनेजर नियुक्त हो चुका हो, उसे मैनेजर नहीं बनाया जायेगा।

(द) अतएवः अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं हेतु प्रदेशीय टीम का मैनेजर बनने के इच्छुक एवं उपरिवर्णित निर्णयानुसार पात्र, राज्य कर्मचारी अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण–पत्रों सहित खेल अनुभाग, उत्तरखण्ड शासन को प्रेषित कर सकते है।

(4) वर्ष में एक खिलाड़ी को एक ही प्रतियोगिता में चयन किया जायेगा। यदि वह खिलाड़ी किसी अन्य खेल में विशिष्ट स्तर रखता हो तो अधिकतम दो खेलों के लिए ही उसका चयन किया जायेगा।

(अ) प्रदेशीय सिविल सर्विसेज टीम का प्रशिक्षक उसी को नामित किया जाय, जो उस खेल में राष्ट्रीय खेल संस्थान का डिप्लोमा धारक हो।

(ब) यदि डिप्लोमा धारक प्रशिक्षक उपलब्ध न हो, तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षक नामित किया जाय।

(स) यदि उपरोक्त दोनो श्रेणी के प्रशिक्षक उपलब्ध न हो, तो जिस खेल हेतु प्रशिक्षक नामित किया जाना है, उस खेल विशेष की अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के रूप में कम से कम 02 वर्ष प्रदेश स्तरीय सिविल सर्विसेज टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को प्रशिक्षक नामित किया जा सकता है।

(द) किसी खिलाड़ी कर्मचारी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही चलने या निलम्बित होने की स्थिति में उसे प्रशिक्षक नामित किये जाने विषयक आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(य) प्रदेशीय सिविल सर्विसेज टीम के कोच बनने के इच्छुक अधिकारी उपरोक्त वर्णित सूचना/अभिलेखों सहित निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे।

(5) प्रतियोगिता में प्रतिभाग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, खेल को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

नोट – (क) जिला/मण्डल/प्रदेश स्तरीय चयन/ट्रायल्स में भाग लेने वाले सरकारी खिलाड़ी कर्मचारियों को ड्यूटी पर माना जायेगा तथा इनके यात्रा भत्तें आदि जैसे भी स्थिति हो, का भुगतान उनके विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– 630/VI/2017–14(खेल)2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।